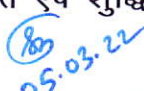
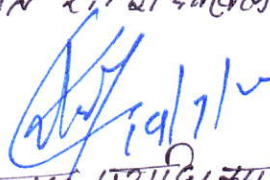


आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
05.03.22	आदेश प्रस्तुत पी०ए० वाद संख्या-21/2017-18 आवेदक-मेसर हॉसदा, पिता-स्व० लिखन हॉसदा, साकिन-मोरंगा, अंचल-पालोजोरी, जिला-देवघर के द्वारा वंशावली के आधार पर संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत मौजा-मोरंगा, थाना नं०-423 का प्रधान नियुक्त करने हेतु समर्पित आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है। इस संबंध में अंचल अधिकारी, पालोजोरी से ज्ञापांक-670/डी०बी० दिनांक-28.11.2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, जो उनके पत्रांक-282/रा० दिनांक-15.05.2018 के द्वारा प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात मौजा के 16 आना रैयतों को सूचना निर्गत किया गया। सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है। आवेदक के विज्ञा अधिवक्ता को सुना। अंचल अधिकारी, पालोजोरी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-मोरंगा, थाना नं०-423 एक प्रधानी मौजा है। प्रधानी/मूल रैयती पंजी-II के अनुसार लिखन हॉसदा उक्त मौजा के अंतिम प्रधान थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण-पत्र अभिलेखबद्ध है। आवेदक पूर्व प्रधान के ज्येष्ठ पुत्र है। मौजा में जमाबंदी रैयतों की कुल संख्या-30 है एवं वार्षिक लगान-312.00/- (तीन सौ बारह रुपया) अलावे सेस है। अंचल अधिकारी, पालोजोरी द्वारा आवेदक को मौजा-मोरंगा, थाना नं०-423 का प्रधान पद पर नियुक्त करने हेतु प्रतिवेदन अग्रसारित किये हैं। उक्त वाद में आपत्तिकर्ता नुनलाल हॉसदा, पिता-स्व० पैका हॉसदा, सा०-मोरंगा, अंचल-पालोजोरी द्वारा दिनांक-02.08.2019 को एक आपत्ति आवेदन दाखिल किया गया। आपत्ति आवेदन में उल्लेखित किया गया है कि पी०ए० वाद संख्या-179/2007-08 एवं 204/2007-08 लंबित है। जबकि उपायुक्त, देवघर के न्यायालय के आर०एम०ए० वाद संख्या-04/2009 में दिनांक-27.05.2011 को पारित आदेश के आलोक में पी०ए० वाद संख्या-179/2007-08 आवेदक-श्री लिखन हॉसदा एवं 204/2007-08 आवेदक नुनलाल हॉसदा के अभिलेख को सम्बद्ध कर तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर द्वारा दिनांक-15.07.2015 को पारित आदेश में मत के आधार पर संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा-5 के तहत प्रथम आवेदक श्री लिखन हॉसदा को मौजा-मोरंगा, थाना नं०-423 का प्रधान नियुक्त करते हुए द्वितीय आवेदक श्री नुनलाल हॉसदा का प्रधानी आवेदन खारिज किया गया है। तत्संबंधी अनुमोदन उपायुक्त, देवघर के न्यायालय के विविध वाद संख्या-14/2015-16 लिखन हॉसदा-बनाम-नुनलाल हॉसदा में दिनांक-11.07.2017 को आदेश पारित है कि संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा-5 एवं 6 के तहत किसी भी प्रधानी मौजा का प्रधान नियुक्त करने के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।	

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
	2	3
19.7.22	अतः पूर्व पारित आदेश एवं अंचल अधिकारी, पालोजोरी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक—मेसर हॉसदा, पिता—स्व० लिखन हॉसदा, साकिन—मोरंगा, अंचल—पालोजोरी, जिला—देवघर को संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा—6 के तहत वंशानुगत के आधार पर मौजा— मोरंगा, थाना नं०—423 का प्रधान नियुक्त किया जाता है तथा आपत्तिकर्ता नुनलाल हॉसदा का आपत्ति आवेदन खारिज किया जाता है। तदनुसार आवेदक कबुलियत एवं सुरक्षित राशि जमा करें, तत्पश्चात् नियुक्त प्रधान को पट्टा निर्गत करें। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पालोजोरी को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित  05.03.22 अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर।  05.03.22 अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर। <i>आवेदक द्वारा कबुलियत एवं सुरक्षित राशि दाखिल किया गया/ पट्टा निर्गत करें।</i>  19/7/22 अनुमण्डल पदाधिकारी मधुपुर।	पादा पाय मेसर हॉसदा प्रधान जाचक 109 दी.प दिनांक 22.7.22